

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक: 13.06.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री / श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	राजेन्द्र सिंह प्रथम	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त विधि प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
2.	रामकृष्ण भूरिया	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त विधि प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, जयपुर	श्री राजेन्द्र सिंह के स्थान पर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध
3.	नरेन्द्र कुमार आर्य	संयुक्त विधि, परामर्शी आयुक्त आबकारी, उदयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	श्री भूरिया के स्थान पर
4.	मोहनलाल गुप्ता	उप विधि परामर्शी निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	उप कुल सचिव के पद के विरुद्ध
5.	कल्पना शर्मा	सहायक विधि परामर्शी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	सहायक विधि परामर्शी वित्त (विधि प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
6.	रमेश कुमार आर्य	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	उप विधि परामर्शी आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर	रिक्त पद पर
7.	रेणु बक्शी	उप विधि परामर्शी कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
8.	ईश्वर सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी, आदेशों की प्रतिक्षा में	कनिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोन-भरतपुर।	रिक्त पद पर


आज्ञा से

(अकित रमन)

संयुक्त प्रशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हरे सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव